1.5.3.18 वकील वादी उपस्थित। समस्त वादी को PW-1 श्री [illegible]लाल का शपथ पत्र पेश किया। [illegible] वादी [illegible] दिनांक 26.4.18 को पेश हो।

SDO

26.4.18

प्रकरण [illegible] सरकार के आदेशानुसार आयोजित होने वाली लोक अदालत/[illegible] में रखने योग्य पाया जाता है अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ....[illegible]..... पर दिनांक ...13-6-18... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Camp
PS 85
[illegible]/5/18

13.6.18 मामला लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। [illegible] वादी [illegible] नहीं चाहते। [illegible] वादी [illegible] जाती है। बहस सुनी गई। मामले का अवलोकन किया गया। अतः वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर उद्घोषित किया गया। मामला फैसल हुआ होकर रिकॉर्ड [illegible] हो जाय।

SDO

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/110/2015

वउनवान

1. वाबूलाल पुत्र हरीकिषन जाति ब्राहमण
2. सोरनलाल पुत्र रामचरण जाति ब्राहमण

निवासीयान मक्खनकानगला तहसील कठूमर

----- वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत सौंखरी पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच
2. ग्रामीण पदेन एंव सचिव ग्राम पंचायत सोंखरी

तहसील कठूमर जिला अलवर

---- प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री संजय कुमार अवस्थी : वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 13.06..2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1323 रकवा 0.78 हे0 खसरा नम्बर 1316 रकवा 0.16 हे. वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में स्थित है। खसरा नम्बर 1323 वादीगण के 5/8 हिस्सा रामस्वरूप के 1/8 हिस्सा रूपचन्द के 1/8 हिस्सा परभाती के 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 1316 वादीगण की वहिस्सा वरावर कब्जे काष्त खातेदारी की आराजी है। जिसका लगान पक्षकारान शामलात में ही काविज रहकर काष्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 1323 के तर्फ पच्छिम मक्खन के नगला से लाठकी जाने वाला गै0मु0 रास्ता है। इस रास्ता के तर्फ पश्चिम को ही खसरा नम्बर 375,376,385 है इस खसरा नम्बर रास्ता की सारी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

जमीन को इन खसरा नम्बर के खातेदारों ने दवाकर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इन्होंने रास्ता को वादीगण के खेतों में कायम कर दिया है। हाल में गै0मु0 रास्ता वादीगण के खेत 1323 में कायम एंव जारी है और रास्ता की जमीन खसरा नम्बर 375,376,385 में है। खसरा नम्बर 1316 में वादीगण ने एक तरफ बाउण्ड्री बाल कर रखी है पेश साइड खुली हुई है। इसी आराजी में वादीगण ने पक्की बाउण्ड्री बाल करने हेतु ईट पत्थर बजरी आदि मेटरियल डाल रखा है। प्रतिवादीगण नरेगा योजना के अनुसार खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1316 तथा खसरा नम्बर 1323 के तर्फ पष्चिम वादीगण की खातेदारी की जमीन पर सडक डालना चाहते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से ऐसा करने को मना किया तो प्रतिवादीगण ने खुले आम कहा कि हम इस खेत में होकर सडक निर्माण करेगें तुम्हें इस जमीन पर शाति पूर्वक काष्त नहीं करने देगें जवरन वेदखल करेगें। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी किस्म का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेंगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे वादीगण को अपार हानि होगी। अतः वादीगण ने प्रतिवादीगण को पावन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण दिनांक 25.04.2012 को हाजिर अदालत नहीं हुये इस वजह से उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 वाके ग्राम मक्खनकानगला की सत्यप्रतिलिपी पेष की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी पी डब्ल्यू 1 बाबूलाल के वयान कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1323 वादीगण व अन्य साझीदारान व खसरा नम्बर 1316 वादीगण की कब्जे काष्त खातेदारी की आराजी है प्रतिवादीगण वादीगण की विवादित आराजी में होकर सडक निर्माण करना चाहते है तथा वादीगण को विवादित आराजी के कब्जे काष्त में बाधा पैदा करते है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2068 से 2071 वाके ग्राम मक्खनकानगला वयान गवाह पीडब्ल्यू 1 का अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षिय वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 वाके ग्राम मक्खनकानगला में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1323 वादीगण व अन्य साझीदारान व खसरा नम्बर 1316 वादीगण की कब्जे काष्त खातेदारी की आराजी दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये और ना अपनी ओर से दावा में कोई उज्र व एतराज पेष किये। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी वावत वादीगण के कब्जे काष्त में बाधा पैदा करने विवादित आराजी में होकर सडक निर्माण करने का अधिकार नहीं है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी एकपक्षिय रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1323 तथा खसरा नम्बर 1316 वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में वादीगण के कब्जे काष्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करें। उक्त आराजी के किसी भी हिस्से में होकर किसी तरह की कच्ची पक्की सडक व रास्ता कायम ना करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 13.06.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/110/2015

वउनवान

1. बाबूलाल पुत्र हरीकिषन जाति ब्राहमण
2. सोरनलाल पुत्र रामचरण जाति ब्राहमण

निवासीयान मक्खनकानगला तहसील कठूमर

------ डिकीदारान

बनाम

1. ग्राम पंचायत सौंखरी पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच
2. ग्रामीण पदेन एंव सचिव ग्राम पंचायत सोंखरी

तहसील कठूमर जिला अलवर

----- मदयूनान

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी एकपक्षिय रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1323 तथा खसरा नम्बर 1316 वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में वादीगण के कब्जे काष्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करें। उक्त आराजी के किसी भी हिस्से में होकर किसी तरह की कच्ची पक्की सडक व रास्ता कायम ना करें।

आज दिनांक 13.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर

Scanned by CamScanner